उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

S.A.R. Appeal No.- 13/2015-16

(i) यह अपीलवाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा आर0पी0 केस नं0–22/2014–15 में दिनांक 19.06.2015 को पारित आदेश के खिलाफ है।

(ii) अपीलार्थी – गौरी देवी, पति–स्व0 बाबुलाल साह, ग्राम–घाघीडीह, जगदीशपुर रोड, थाना–बागबेड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

(iii) प्रतिवादी – छुटु भूमिज, पिता–स्व0 रौड़ेया भूमिज, ग्राम–घाघीडीह, जगदीशपुर रोड, थाना–बागबेड़ा, जिला–पूर्वी सिंहभूम।

(iv) भू–वापसी हेतु भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा–घाघीडीह, थाना नं0–1166, खाता नं0–288, प्लॉट नं0–1426 रकवा– 40'x 25' है।

आदेश

1. यह S.A.R. Appeal आवेदन दिनांक 06.07.2015 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, धालभूम, जमशेदपुर द्वारा R.P. Case No.-22/2014-15 में दिनांक 19.06.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी Smt. Gouri Devi द्वारा दाखिल किया गया है।

2. निम्न न्यायालय के अभिलेख R.P.Case No.-22/2014-15 में दिनांक 19.06.2015 को पारित प्रश्नगत आदेश में उल्लेखित है, कि "अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के जाँच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–घाघीडीह, थाना नं0–1166, खाता नं0–288, प्लॉट नं0–1426, रकवा–48'x25' भूमि हाल सर्वे खतियान में रोडेया भूमिज, पिता–जगन्नाथ भूमिज के नाम से दर्ज है जो आदिवासी खाते की भूमि है। प्रश्नगत भूमि पर 20 वर्षो से विपक्षी गौरी देवी, पति–स्व0 बाबुलाल साह का दखल है तथा पक्का मकान है। प्रश्नगत भूमि का हस्तांतरण वैधिक नहीं है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A के मामला बनता है। मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह रूलींग दी गई है कि जब किसी आदिवासी रैयत की भूमि पर वो काबिज–दाखिल होने का अधिकार हो, पर कोई गैर आदिवासी व्यक्ति काबिज–दाखिल है तो इसे हस्तांतरण माना जायेगा एवं ऐसे मामलों में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A प्रभावी होगा। उक्त रूलींग में मान्नीय उच्चतम न्यायालय का यह Observation है कि धारा–71A में वर्णित प्रावधान एक लाभकारी कानून है जिसको बनाने का उद्देश्य आदिवासी रैयतों की भूमि की रक्षा करना है क्योंकि वो रक्षा करने में असमर्थ है। ऐसे मामलों में न्यायालय को आदिवासी भूमि की रक्षा करने के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 2004(3) JLJR (SC) 103 [2004(3) PLJR (SC)212] में मान्नीय उच्चतम न्यायालय एवं 2005(3) JLJR Page No. 477 में मान्नीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा यह रूलींग दी गई है कि यदि अवैध रूप से दखल करने वाले व्यक्ति ने किसी आदिवासी रैयत की भूमि पर उक्त प्रावधान को परास्त करने की नीयत से कोई संरचना खड़ा कर दिया है तो ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति भी देय नहीं होगा। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं विभिन्न मामलों में मान्नीय उच्चतम न्यायालय तथा मान्नीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा

24/5/2016

दी गई रूलींग के आधार पर मेरा अभिमत है कि स्पष्टतः इस वाद में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–71A आकर्षित होती है, चूँकि इसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 का उल्लंघन हुआ है। अतः अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के प्रतिवेदन के आलोक में एवं उक्त तथ्यों के मद्देनजर उक्त धारा के तहत् आदेश पारित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–घाघीडीह, थाना नं0–1166, खाता नं0–288, प्लॉट नं0–1426, रकवा–40'X25' भूमि पर से विपक्षी को हटाकर उसका दखल– कब्जा खतियान के जीवित उत्तराधिकारी को वापस दिलाया जाय। तदनुसार अंचल अधिकारी, जमशेदपुर को दखल–दिहानी परवाना निर्गत करें।"

3. प्रतिवादी छुटू भूमिज द्वारा दिनांक 07.01.2016 को समर्पित written argument का अवलोकन किया।

4. अपीलार्थी श्रीमती गौरी देवी, पति–स्व0 बाबुलाल साह द्वारा दिनांक 04.02.2016 को समर्पित written argument का अवलोकन किया।

5. निम्न न्यायालय में आवेदक/प्रतिवादी छुटू भूमिज, पिता–स्व0 रोड़ेया भूमिज, घाघीडीह जगदीशपुर रोड, बागबेड़ा के द्वारा मौजा–घाघीडीह, खाता नं0–288, प्लॉट नं0–1426, रकवा–0.29डी0 (66'X32') भूमि का restoration of possession हेतु दिनांक 07.05.2012 को समर्पित आवेदन का अवलोकन किया।

6. निम्न न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–308 दिनांक 26.02.2013 के निदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, जमशेदपुर के पत्रांक 688, दिनांक 11.04.2013 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

7. निम्न न्यायालय अभिलेख में विपक्षी/अपीलार्थी श्रीमती गौरी देवी, पति–स्व0 बाबुलाल साह द्वारा दिनांक 20.03.2015 को समर्पित कारण–पृच्छा का अवलोकन किया।

8. निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न अपीलार्थी श्रीमती गौरी देवी, पति–स्व0 बाबुलाल साह के द्वारा समर्पित शिकमी पट्टा का छायाप्रति का अवलोकन किया।

9. निम्न न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध विपक्षी/अपीलार्थी श्रीमती गौरी देवी, पति–स्व0 बाबुलाल साह द्वारा दिनांक 26.06.2015 को समर्पित आवेदन का अवलोकन किया।

10. निम्न न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध अंचलाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि का खतियानी रैयत रोड़ेया भूमिज, पिता–जगन्नाथ भूमिज है, जो आदिवासी है। प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अपीलार्थी इस प्रश्नगत आदिवासी खाते की भूमि पर किस प्रकार दखल में आये इस सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार का वैध कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि आदिवासी खाते की भूमि का अवैध स्थानान्तरण हुआ है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 का उल्लंघन है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न न्यायालय का प्रश्नगत आदेश उचित एवं न्यायप्रद है इसे यथावत रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो में व्यस्तता के कारण आदेश आज दिनांक 24.05.2016 को पारित किया जा रहा है।

लेखापित एवं संशोधित
24/5/2016
उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

24/5/2016
उपायुक्त
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

copy of order with LCR CRP Case no-22-14-15 in original sent to DCLR Dhalbhum Jamshedpur vide memo no 1224(B)/L 5/7/16

Seen by R. Org Advocate Appellant 20/6/2016